

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1090/2010/अजमेर

मैसर्स धनराज संस, पुरानी मण्डी अजमेर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,

उड़नदस्ता, अजमेर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. माहेश्वरी,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 151/08-09/वेट/अजमेर में पारित आदेश दिनांक 06.05.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता-संभाग, अजमेर, (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत आरोपित कुल मांग राशि रुपये 2,57,943/- को यथावत रखा है। इस आदेश से क्षुब्ध होकर व्यवसायी ने धारा 83 में कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश	शास्ति
		क्रमांक	दिनांक	दिनांक	
1.	1090/10	151/08-09/वेट/अजमेर	06.05.10	03.03.09	2,57,943/-

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 17.02.2009 को वाहन संख्या HR-46B-7204 को माखुपूरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, अजमेर में एक गोदाम पर खाली होते हुए चैक किया, वाहन के चालक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर भिन्न लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं :-

1. जीआर नं0-2143 दिनांक 15.02.2009 मै0 मोहित रोड केरियर कालाअम्ब

2. इनवाईस नं0-1279 दिनांक 15.12.2009 प्रेषक मै0 रुचिरा पेपर लि0 कालाअम्ब, (सिरमौर) (हिमाचल प्रदेश) तथा प्रेषिति श्री वेंकटेश पेपर एजेन्सीज, डी-29, जनपथ श्याम नगर, जयपुर, माल पेपर कीमतन रुपये 8,40,404/-

3. नेशनल इश्योरेंस कं0 लि0 का अपने पॉलिसी नं. 971 दिनांक 05.05.2008

4. घोषणा प्रपत्र-वैट-47 संख्या 5099186



लगातार.....2

वाहन चालक के बयान कर निर्धारण अधिकारी ने दर्ज करने पर वाहन चालक ने माल सीधे कालाअम्ब से अम्बाला, हिसार, राजगढ़, डीडवाना, कुचामन, किशनगढ़ शहरों से होते हुए अजमेर आना बताया। वाहन चालक के पास अजमेर में माल खाली करने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन को निरुद्ध किया है, साथ ही वाहन चालक व माल प्रभारी को सुनवाई की तिथि 24.02.2009 का नोटिस जारी किया, जिसमें धारा-76(2) का उल्लंघन माना गया।

नोटिस की अनुपालना में दिनांक 19.02.2009 को अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख माल संबंधी दस्तावेज बिल नं० 1879 दिनांक 16.02.2009 मैसर्स श्री वैकटेश पेपर एजेन्सी, जयपुर की छाया प्रति जिसमें माल प्राप्त कर्ता मै० धनराज संस, एफ-186 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया माखुपूरा, अजमेर अंकित है, पेश किया तथा जाहिर किया कि वाहन चालक वाहन में लदे माल के जयपुर से अजमेर के दस्तावेज जयपुर से आते समय लाना भूल गया। कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः माल के प्राप्त कर्ता मै० धनराज संस एफ-186 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया माखुपूरा, अजमेर को दिनांक 03.03.2009 को नोटिस जारी किया जो कि मार्फत वाहन चालक माल प्रभारी श्री बलजीतसिंह पुत्र श्री हरनामसिंह है। नोटिस में यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि इस कन्साइनमेंट में अजमेर के लिए परिवहनित उक्त माल के बिल व बिल्टी व चालान वक्त जांच वाहन चालक व माल प्रभारी ने प्रस्तुत नहीं किये तथा समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी आज दिनांक 24.02.2009 तक भी आपने मूल बिल की फोटो प्रति पेश की है जो After thought की श्रेणी में आती है व आपकी करवंचना की मनोदशा दर्शाती है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी के घोषित व्यवसाय स्थल की रिपोर्ट प्राप्त की गई है जिसके अनुसार मैसर्स धनराज एण्ड संस अजमेर टिन नं० 08200004468 का कार्यालय रिकार्ड में घोषित व्यवसाय स्थल 311/15 पुरानी मण्डी अजमेर बताया गया। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि जहां माल अनलोड किया जा रहा था वह स्थान व्यवसायी का घोषित व्यापार स्थल या गोदाम नहीं है। इस प्रकार वाहन चालक के बयानों में तथा अब अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत बिल की फोटो प्रति में दिए गए पते में विरोधाभास है। जिसका कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह भी पूछा गया कि वक्त जांच लिये गये बयानों में वाहन चालक व माल प्रभारी ने माल सीधे हिमाचल प्रदेश से कुचामन किशनगढ़ होते हुए अजमेर पहुँचा है। जबकि प्रस्तुत जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि इस माल के बिल एवं बिल्टी आदि जयपुर से वाहन चालक लाये बिना समय एवं लोडिंग व अनलोडिंग बचाने के लिए सीधे अजमेर आ गया है। इस विरोधाभासी तथ्यों का कारण भी पूछा गया। यह भी स्पष्टीकरण पूछा गया कि जवाब के साथ प्रस्तुत कथित बिल नं० 1879 दिनांक 16.02.2009 में प्रेषिति के रूप में आपकी फर्म का पता एफ-186, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया माखुपूरा, अजमेर अंकित था, जबकि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-अजमेर से प्राप्त रिकार्ड दिनांक 19.02.2009 के अनुसार आपकी फर्म का पता 311/15 पुरानी मण्डी अजमेर घोषित है तथा इसके अलावा अन्य कोई व्यवसाय स्थल व गोदान नहीं हैं, इसके अतिरिक्त वक्त जांच दिनांक 17.02.2009 को माल को अनलोड करवाने वाले व्यक्ति श्री अनिल शर्मा ने बताया एफ-186 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया में गोदाम मै० आर० के० पेपर एण्ड बोर्ड फर्म का है

तथा यह माल इसी फर्म में उतारा जा रहा है। उक्त तथ्य विरोधाभासी हैं, स्पष्ट है कि आपने करवंचना की नियत से उक्त पते पर गलत पते से माल मंगवाया है, जबकि इससे पूर्व जयपुर की इसी फर्म से दिनांक 15.07.2008 को जो माल मंगवा कर उसमें पुरानी मण्डी, अजमेर लिखाया है।

अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जवाब को सुविचारित करने के उपरान्त धारा-76(2) का उल्लंघन मानते हुए वक्त जांच अजमेर के कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण तथा कालाअम्ब से जयपुर के प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई एन्डोर्समेन्ट अजमेर में, डिलेवरी करने के आशय का नहीं होने के कारण अपीलार्थी की करवंचना की मंशा मानते हुए माल की कीमतन रुपये 8,59,809/- पर धारा 76(6) के तहत शास्ति दर 30 प्रतिशत से रुपये 2,57,943/- आरोपित की है जिसे इस अपील में विवादित किया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए आरोपित कुल मांग राशि को यथावत रखा गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्कों में यह कहा है कि यह सही है कि वाहन की जांच करते समय माल के साथ जयपुर से अजमेर आने के बारे में कोई दस्तावेज नहीं थे लेकिन माल से संबंधित बिल जो कि मै0 श्री वैकटेश पेपर एजेन्सी, जयपुर द्वारा जारी किया गया था, चैकिंग के दिन ही माल से संबंधित बिल कर निर्धारण अधिकारी को पेश कर दिया था जो कि वैट एक्ट की धारा-76(2) का पर्याप्त पालन है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 124 STC 611 में प्रकाशित निर्णय में मै0 डी. पी. मेटल के प्रकरण में निर्णित किया है। अपीलार्थी के इस प्रकरण में भी जांच के वक्त बिल पेश किया था जो कि कर निर्धारण अधिकारी ने झूठा या फ़ैब्रिकेटेड प्रमाणित नहीं किया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का तर्क है कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय अपील संख्या 1853/06/अजमेर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, षष्ठम, राजस्थान जयपुर बनाम मै0 किशनलाल पुत्र श्री घासीलाल द्वारा मै0 ज्ञानोदय स्टील, अजमेर का निर्णय दिनांक 11.08.2008 में समान तथ्यों को सुविचारित करते हुए विभाग की अपील को खारिज किया है, उस प्रकरण में भी कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन को अजमेर रोड़ चुंगी नाके पर चैक किया था जिसमें माल, दाहोद (गुजरात) से अजमेर के लिए परिवहनित किया जा रहा था लेकिन वाहन चालक द्वारा बताया गया कि यह माल जयपुर अनलोड करेगा इस प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने निर्णित किया कि वक्त जांच माल से संबंधित दाहोद (गुजरात) से अजमेर तक के दस्तावेज उपलब्ध थे वाहन चालक ने अपने बयान में यह कथन किया कि माल जयपुर में अनलोड किया जाना है, अतः करापवंचन की मंशा से माल परिवहनित किये जाने के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस दिया गया नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा जयपुर से



अजमेर के दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये तथा जाहिर किया कि ट्रांसपोर्टर की गलती से दस्तावेज वाहन चालक को देने से रह गये जो अब पेश किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी को दस्तावेज स्वीकार किये जाने चाहिये थे अथवा विस्तृत जांच करते हुए व्यवहारी की मानसिकता करापवंचन की जांच की जानी चाहिए थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी कोई जांच पत्रावली पर किया जाना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम मै0 डी.पी. मेटल्स 124 STC 611 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई दस्तावेज वक्त जांच उपलब्ध नहीं है तो वह नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है एवं शास्ति अधिरोपण किया जाना न्याय संगत नहीं है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के इस निर्णय के आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी के इस प्रकरण में भी वक्त जांच माल से संबंधित बिल पेश कर दिये जाने के बाद कर निर्धारण अधिकारी ने उस बिल को झूठा प्रमाणित नहीं किया है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित शास्ति आदेश अविधिक होने के कारण अपास्त योग्य है। बहस को आगे बढ़ाते हुए यह भी तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी ने जिस गोदाम पर माल उतरते हुए चैक किया था वह गोदाम एफ-186 रिको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, माखुपूरा अजमेर भी अपीलार्थी का ही घोषित गोदाम था जो कि अपीलार्थी ने दिनांक 05.02.2009 को किराये पर लिया था इस आशय के पंजीयन प्रमाण-पत्र में संशोधन होने के प्रमाण स्वरूप पंजीयन प्रमाण पत्रों की छायाप्रति पेश की हैं। इस आधार पर तर्क किया कि माल को कर चोरी की नियत से अन्य स्थान पर खाली नहीं किया जा रहा था, इसलिए आरोपित शास्ति अविधिमान्य होने के कारण अपास्त योग्य है।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित कोई भी दस्तावेज जयपुर से अजमेर हेतु परिवहन का प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत वैट एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:-

76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement.-

- (2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-
 - (a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set-up under sub-section (1);
 - (b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;
 - (c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check-post or barrier;
 - (d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and
 - (e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check-post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

7. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल-बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। हस्तगत प्रकरण में वाहन चालक माल प्रभारी जयपुर से अजमेर आ गया। किन्तु कोई भी दस्तावेज नहीं

पाया गया जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि परिवहनित किया जा रहा माल धारा 76(2)(b) की अवहेलना करके किया जा रहा था। प्रकरण का मूल विवादित बिन्दु यह है कि जब वाहन को चैक किया गया, उस वक्त वाहन चालक के पास जयपुर से अजमेर हेतु कोई भी वैधानिक दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी, चालान, घोषणा-पत्र इत्यादि नहीं था। अपीलार्थी का यह तर्क कि उक्त प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के राजस्थान राज्य बनाम डी. पी. मेटल्स 124 STC 611 से आच्छादित होता है। यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का यह अर्थ कदापि नहीं है कि बिना वैधानिक दस्तावेजों के माल का परिवहन किया जावे व बाद में नोटिस की पालना में प्रस्तुत कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय का सारांश यह है कि यदि अन्य सभी दस्तावेज माल परिवहन के समय साथ हों परन्तु यदि कोई एक दस्तावेज जो पूर्व में अस्तित्व में हो, उसे भूलने पर वह नोटिस की पालना में प्रस्तुत किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में तो जयपुर से अजमेर के बीच माल का एक भी दस्तावेज धारा 76(2)(b) की पालना में वाहन चालक के पास नहीं पाया गया। अतः माननीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। अतः विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का उक्त कथन अस्वीकार किया जाता है। माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में शास्ति के संबंध में निम्न सारांश दिया गया है जो उद्धृत किया जाता है।

Unlike Sant Lals case, here under Section 78(5) levy of penalty is only on the person in charge of the goods. It is who should have all the requisite documents relating to the title or sale of the goods which are being transported. Penalty under Section 78(5) is leviable under two circumstances. Firstly if there is non-compliance with Section 78(2) (a) i.e. not carrying the documents mentioned in that sub-clause or, secondly if false or forged documents or declaration is submitted.

हस्तगत प्रकरण में धारा 76(2)(b) की पालना में कोई भी दस्तावेज वक्त जांच वाहन चालक के पास नहीं पाया गया। अतः उपरोक्त न्यायालय सारांश के अनुसार शास्ति आरोपणीय है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने वक्त बहस लिखित जवाब प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित न्यायालयों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं। अतः इन निणर्यों को लागू किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि परिवहनित किये जा रहे माल के समर्थन में जयपुर से अजमेर के लिए कोई भी एक वैधानिक दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी अथवा चालान वाहन चालक के पास नहीं पाया गया। अतः यह स्पष्ट रूप से धारा 76(2)(b) का उल्लंघन होने के कारण धारा 76(6) के तहत आरोपित की गई शास्ति विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखी जाती है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण इसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य